



दिनांक—30.11.2018 को आहूत पेंशन अदालत की कार्यवाही:—

उपस्थिति – पंजी के अनुसार

उपस्थिति की समीक्षा :- इस बैठक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, जहानाबाद, जहानाबाद, वरीय कोषागार पदाधिकारी जहानाबाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद, जिला योजना पदाधिकारी, जहानाबाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी जहानाबाद, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जहानाबाद, प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकाश शाखा, जहानाबाद, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जहानाबाद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जहानाबाद, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जहानाबाद, जिला अभियोजन पदाधिकारी, जहानाबाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद/मखदुमपुर/घोषी/काको/रतनीफरीदपुर एवं हुलासगंज, अंचल अधिकारी, रतनीफरीदपुर एवं मोदनगंज, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम, जहानाबाद, कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, जहानाबाद, जिला अवर निबंधक पदाधिकारी, जहानाबाद, जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद, निदेशक आत्मा, जहानाबाद, जिला उद्यान पदाधिकारी, जहानाबाद, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जहानाबाद, जिला नियोजन पदाधिकारी, जहानाबाद, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मखदुमपुर, जिला बाल संरक्षण ईकाई पदाधिकारी, जहानाबाद, सक्षम पदाधिकारी, जहानाबाद, निरीक्षक माप तौल, जहानाबाद, प्रभारी चि० पदा० प्रा०स्वा० केन्द्र, रतनीफरीदपुर/घोषी एवं जहानाबाद, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जहानाबाद, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, जहानाबाद, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मोदनगंज/ जहानाबाद/हुलासगंज /रतनीफरीदपुर एवं मखदुमपुर, जिला मध्याह्न भोजन योजना पदाधिकारी, जहानाबाद, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, रा०म०सि०अभि०साक्षर, जहानाबाद, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, काको/घोषी/मखदुमपुर/मोदनगंज/हुलासगंज/जहानाबाद, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई, जहानाबाद, कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, जहानाबाद, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, जहानाबाद, कार्यपालक अभियंता, डूडा, जहानाबाद, अनुपस्थित पाये गये हैं।

कार्यवाही :- इस कार्यालय के पत्रांक—V-2/10-1236/स्था०, दिनांक—26.11.2018 द्वारा दिनांक—30.11.2018 को आहूत पेंशन अदालत की सूचना सभी कार्यालय प्रधान को निर्गत की गई। समाचार पत्र में पेंशन अदालत आयोजित करने संबंधी सूचना प्रकाशित की गई थी। सभी कार्यालय प्रधान को पेंशन स्वीकृति प्राधिकार को अपने स्तर से लंबित सेवान्त लाभों का नियमानुसार निष्पादन करते हुए निर्धारित तिथि को भाग लेने का निदेश दिया गया है। दिनांक—30.11.18 को आयोजित पेंशन अदालत में निम्नवत कर्मियों का आवेदन प्राप्त हुआ जिसका विवरण निम्नवत है:—


क्र०	सेवा निवृत्त कर्मियों का नाम	पदनाम	सेवा निवृत्ति की तिथि	शिकायत से संबंधित विवरणी	की गई कारवाई	अनुपालन करने वाले कार्यालय प्रधान का पदनाम कार्यालय
1	श्री लाल प्रसाद	सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक	31.08.16	पेंशन, उपादान एवं बिक्री पेंशन का भुगतान नहीं होने के संबंध में।	पत्रांक—1291 दिनांक—03.12.18	जिला शिक्षा पदा० जहानाबाद को नियमानुसार अविलंब निष्पादन का निदेश दिया गया।

2. जिला स्थापना शाखा में जिला स्तर पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का डाटावेस संधारित है जो निम्न प्रपत्र में है।

क्र०	सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का नाम	पदनाम	पदस्थापन कार्यालय	सेवा निवृत्ति की तिथि	औपबंधिक पेंशन भुगतान का विपत्र संख्या एवं राशि	औपबंधिक उपादान	गुप बीमा विपत्र संख्या एवं राशि	अव्यवहृत अवकाश विपत्र सं०/ राशि	सा० भ० नि० वि०सं० एवं राशि	पेंशन स्वीकृति की तिथि/पीपीओ और पत्र प्रसंग का सं० एवं तिथि	अभ्युक्ति
1											


3. पेंशन अदालत में कुल-21 कार्यालयों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मेरे कार्यालय में सेवान्त लाभ के लंबित मामले शून्य है।
- 4) पेंशन अदालत में कुल-29 कार्यालयों में सेवान्त लाभ के-66 (छियासट) मामले लंबित पाये गये जिसका नियमानुसार निष्पादन करने का निदेश दिया गया है।
- 5) पेंशन अदालत में कुल-08 कार्यालयों द्वारा कुल-19 कर्मियों को पेंशन एवं सेवान्त लाभ भुगतान एवं निष्पादन उनके संसूचित किया गया है।
- 6) सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को निदेश दिया गया कि उक्त बिन्दुओं पर अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
- 7) दिनांक-20.12.18 को ग्राम प्लेक्स भवन समाहरणालय, जहानाबाद में आयोजित पेंशन अदालत में सभी कार्यालय प्रधान/संबंधित पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ पेंशन अदालत की कार्यवाही समाप्त की गई।


 जिला पदाधिकारी
 जहानाबाद।

ज्ञापांक- सं० सं०-२-०२/१०-१३५४.....स्था०, दिनांक १४/१२/१८

- प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-उप विकास आयुक्त, जहानाबाद/अपर समाहर्ता, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-जिला नजारत उप समाहर्ता, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया गया कि कार्यालय स्तर पर समीक्षा कर नियमानुसार यथाशीघ्र प्राधिकार पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें।
- प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-सभी संबंधित कार्यालय प्रधान एवं जिला स्तरीय सभी तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, जिला जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :-श्री कृष्ण कुमार साहनी, आई० टी० मैनेजर, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसे बेबसाईट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल एड्रेस पर संसूचित करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :-एक प्रति रक्षी संचिका में।


 जिला पदाधिकारी
 जहानाबाद।